वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या/No. 5-1(79)/2009-पीडी

Dated: 26.03.2010

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary(Admn.)

To,

The Directors/Heads of all
National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Grant of variable rate of increment @ 4% in the case of officers in PB-3-regarding.

Sir,

I am directed to state that CSIR has been receiving references from various Labs./Instts. on the above subject and to state that the guidelines for grant of variable increment @ 4% to high performers in PB-3 are yet to be finalized and notified by Department of Personnel and Training, Govt. of India.

All the Labs./Instts. are, therefore, informed that till such guidelines are received from the Govt. of India or any scheme is formulated by CSIR, the existing rate of annual increment of 3% may be followed.

Yours faithfully

(O.P. Dhawan)
Under Secretary

Copy to:

Head, IT Division with the request to make this letter available on the website.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi -110 001

दिनांक : 29 मार्च, 2010

सं. 5-1(79)/2009-पीडी

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: पीबी-3 में कार्यरत अधिकारियों के मामले में 4% की दर से वेतन वृद्धि की परिवर्ती दर की स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर को उपर्युक्त विषय पर विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों से पत्र प्राप्त होते रहे हैं, साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पीबी-3 में उच्च निष्पादकता से कार्य करने वाले अधिकारियों को **4%** की दर से परिवर्ती वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और कार्मिक एक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अधिसूचित किया जाना है।

अत: सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार से ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त होने तक अथवा इस संबंध में सीएसआईआर द्वारा कोई स्कीम तैयार किए जाने तक वार्षिक वेतनवद्धि की 3% की मौजूदा दर का अनुसरण किया जाए।

भवदीय,

(ओ.पी.धवन)
अवर सचिव

प्रति:

प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं